प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

Shri Rahul Verma, Advocate [LL.M]
Supreme Court of India,
Additional Advocate General, State Of Uttarakhand,
137, Tower No.10, Supreme Enclave
Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110093
(Mobile):09717706032

संख्याः 868 /एल0वी0ए0/2023 दिनांकः 19 मई, 2023

विषयः— मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या—102/2023 नीरज छाछर एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या—यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0—183—669/ 2023/1984 दिनांक 24.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उल्लिखित हैं कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या—102/2023 नीरज छाछर एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में हैं। प्रकरण कनखल हरिद्वार में बेलीराम आश्रम में Residential Apartment के निर्माण के संबंध में हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया हैः—

1— उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2— राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
3— जिलाधिकारी, हरिद्वार।

उक्त के अनुपालन के संबंध में इन्फोर्समेन्ट कोर्डिनेटर नमामि गंगे नई दिल्ली, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार (नामित नोडल अधिकारी) एवं प्रतिनिधि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण द्वारा दिनांक 17.04.2023 को कमेटी के सदस्यों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार किये गये संयुक्त निरीक्षण की आख्या संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्न—यथोक्त। मूलरूप में संलग्न

(पी0एल0 शाह)
अपर जिला मजिस्ट्रेट—प्र0
हरिद्वार।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

अपर जिला मजिस्ट्रेट—प्र0
हरिद्वार।
19/05/23

OC/LBA 3159/ERK

प्रभारी अधिकारी
अपर जिलाधिकारी
हरिद्वार

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार।

पत्रांकः-1306 /अह0न0म0ह0/2023 दिनांकः 17 मई,2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

विषयः- मा0 एन0जी0टी0 निर्गत आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उर्पयुक्त विषयक पत्रांक 595/एल0बी0ए0-2023 दिनांक 10 अप्रैल,2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संयुक्त कमेटी में अद्योहस्ताक्षरी को नामित किया गया हैं। उक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.04.2023 को कमेटी के सदस्यों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार किये गये संयुक्त निरीक्षण की आख्या संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

(नूपुर वर्मा)
नगर मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

संयुक्त निरीक्षण आख्याः–

माननीय एन0जी0टी0 में मूल आवेदन संख्या–102/2023 नीरज छाछर एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित प्रकरण के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या--595/एल0बी0ए0–2023 दिनांक 10 अप्रैल,2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रतिनिधि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं इन्फोर्समेन्ट कोर्डिनेटर नमामि गंगे नई दिल्ली के साथ दिनांक 17.04.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया निरीक्षण आख्या निम्नवतः है:–

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आनन्दमयी आश्रम पुल के पास बेलीराम आश्रम के समीप भवन निर्माण सम्बन्धित कार्य पाया गया निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य चलता नही पाया गया निरीक्षण के समय स्थल पर बेसमेंट एवं ग्राउन्ड फ्लोर का स्लेब (लिंटर) का कार्य पूर्ण पाया गया। साथ ही उक्त स्थल से घरेलू उत्प्रवाह व अपशिष्ट गंगा नदी में निस्तारित होता नही पाया गया। उक्त स्थल परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापना हेतु सहमति (CTE) एवं संचालन हेतु सहमति (CTO) वर्तमान तक प्राप्त नहीं की गई है।

निर्माणधीन स्थल बेलीराम आश्रम के निकट हैं। हरिद्वार में परियोजना स्थल पर पहले से निर्मित बेसमेंट प्रथम तल एवं द्वितीय तल की शटरिंग दिखाई दे रही थी। निरीक्षण के समय पाया गया कि पिछले एक वर्ष से आयुक्त महोदय गढवाल मण्डल पौडी द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण निर्माण कार्य रूका हैं। परियोजना प्रस्तावक ने यूकेपीसीबी से स्थापना हेतु सहमति नहीं ली हैं तथा उनका भवन भी एच.आर.डी.ए. द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। गंगा नदी से स्थल की दूरी पर स्पष्टीकरण सिंचाई विभाग द्वारा यह उल्लेख करते हुए दिया गया कि स्थल नदी से लगभग 130 मीटर दूर हैं, और गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में नही आता हैं। (सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये बयान की पुनः जॉच/पुनः पुष्टि कर सिंचाई विभाग का पत्र संलग्न करना उचित होगा) निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निर्माणधीन परियोजना पर बेसमेन्ट के नीचे से सीवर लाइन गुजर रही हैं।

अतः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

15/05/23

(डा0 अजित सिंह)
प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण

15/05/23

(फैजुल्ला खान)
इन्फोर्समेन्ट कोर्डिनेटर नमामि गंगे
नई दिल्ली

15/5/2023

(नूपुर वर्मा)
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार
नामित नोडल अधिकारी

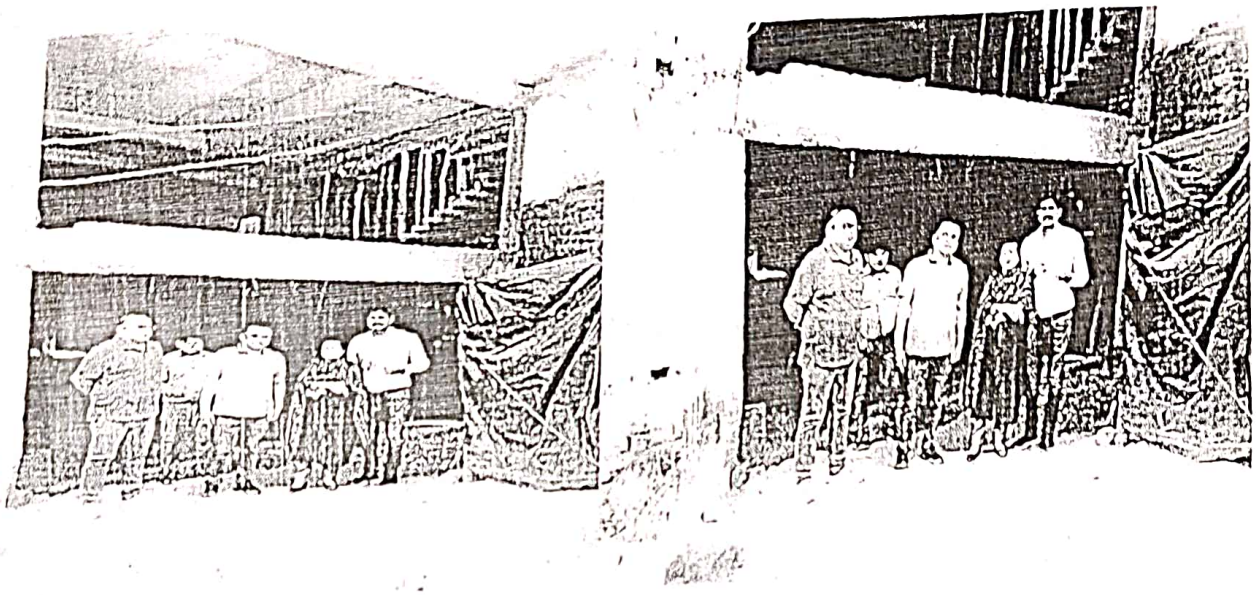

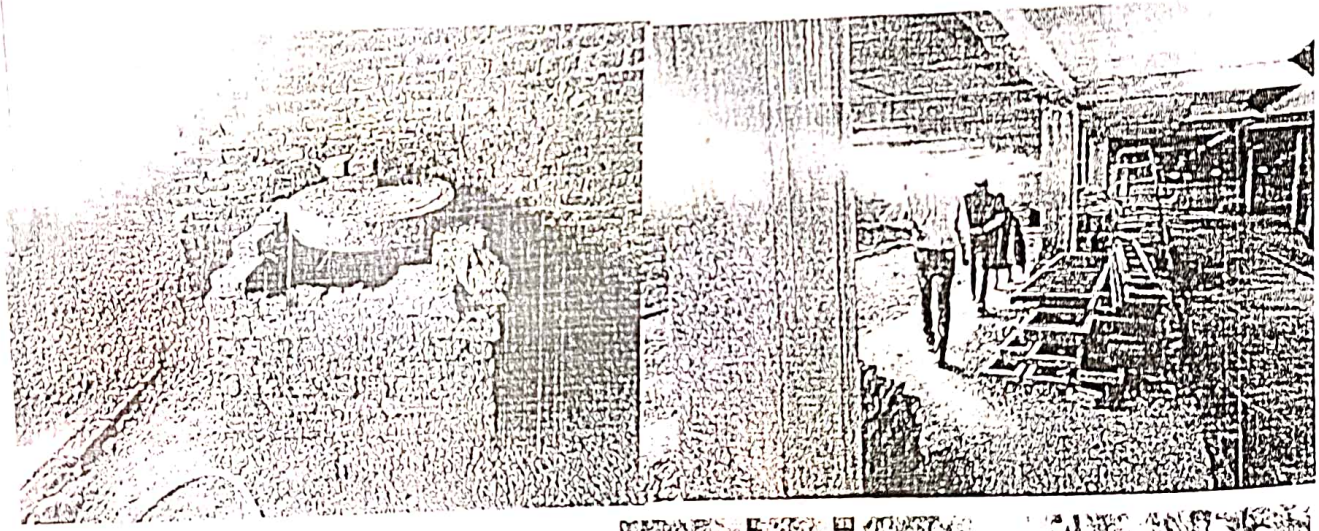

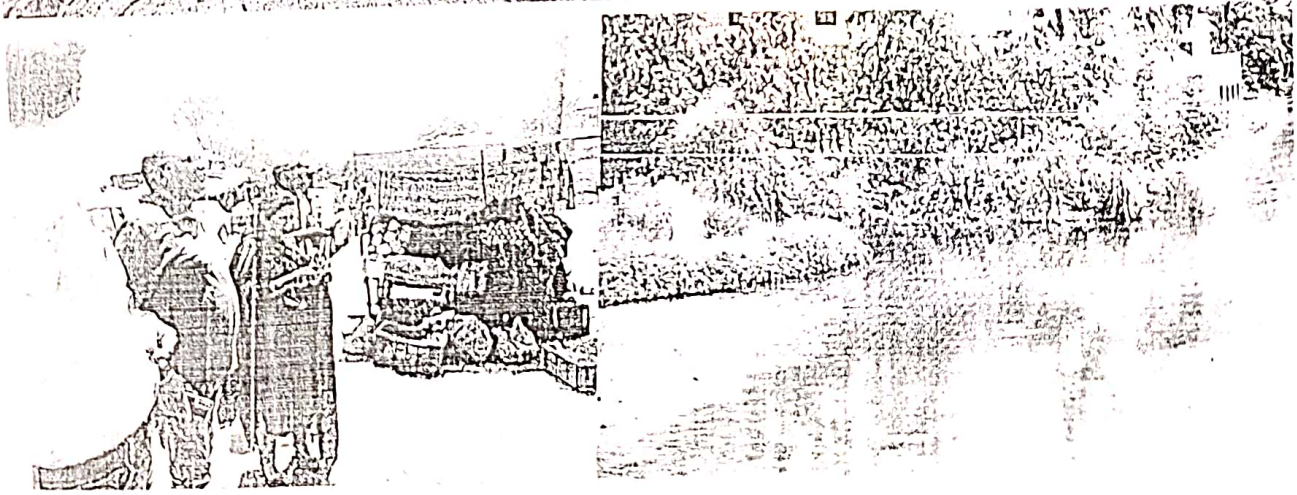

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता-चतुर्थ
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

प्रेषित,

सचिव
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

पत्रांक - 117 / सिं0ख0ह0/स0अ0च0/ दिनांक 13-05-2022

विषय- गंगा नदी के किनारे से निर्माण की दूरी के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपका पत्रांक - 483/नो0/कन0/(411/19-20)(318/2020-21) दिनांक 26.04.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, प्रश्नगत निर्माण में शिकायतकर्ता श्री नीरज छाछर के शिकायती पत्र दिनांक 10.12.2021 के सम्बन्ध में गंगा नदी से 200 मी0 की परिधि में आता है अथवा नहीं तथा वर्तमान में इस सम्बन्ध में लागू शासनादेश की भी वांछना की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि श्री निर्दोष कुमार पुत्र श्री गोपाल कुमार, श्री दीपक कुशवाहा एवं अजय कुशवाहा, श्री घनश्याम कुशवाहा एवं श्री निखिल कुशवाहा पुत्र यादराम ग्राम जगजीतपुर, परगना-ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार का विषयक भूखण्ड बाढ़ परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित की गयी 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति लाईन से बाहर लगभग 130 मी0 की दूरी पर स्थित है तथा गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण में नहीं आ रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त अवगतनीय है कि शासन द्वारा अन्तिम अधिसूचना शासनादेश सं0 - 828/II(2)-2018-06(65)-2016 दिनांक 11.05.2018 जारी की गयी है, जिसमें हरिद्वार जनपद में चण्डी पुल से कलसिया तक गंगा नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में आने वाले समस्त क्षेत्र को प्रतिबन्धित एवं निर्बन्धित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अनुसार बाढ़ परिक्षेत्रण के अन्तर्गत आने वाली भूमियों के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

सहायक अभियन्ता-चतुर्थ
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक : /स0अ0च0/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
2. उपराजस्व अधिकारी, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।

सहायक अभियन्ता-चतुर्थ
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।